

2015/20153

PORIAL

जोजवा

सरवरक

(कायदा-129)

5/10/15

13-1-2016

6-4-2016

29/6/16

14/11/16

21/2/17

25/4/17

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नं.-8 के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला नम्बर 5
शुद्ध RTA प्रापत्र	72/15	17/7/15	14 ⁶ / ₂₀₁₈	20/8/17 7/2/18 21/5/18

अनवान

श्रीमति राधा पुत्री बालू वॉ. श्री रामविगत शं. बालू वॉ. वोट वॉ. कस-
निवासी जोजवा वगेश (3) निवासी जोजवा वगेश (5)

श्री देवे उ पोखरा ल
अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त /

शिवलगा 4
अधिवक्ता प्रति. / विपक्षी / रेषाडेन्ट /

डिकीदार

नदयूनान

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं. 72 सन् 13

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>117 पनावली प्रेशा हुडी व कुलाय करिकेन उपायिका प्रतिवादी सं. 3 की बाइस लाकिल समन लाईका यावत हुडी का जिस्मे सही पता नही होना जनाम ही अला. सही पता प्रेशा कोण समन प्रेशा को तब जाय हो। पनावली बासो तालवी निगेड न/भ/18को प्रेश हो</p> <p>7/2/18</p> <p>पनावली पेशा हुडी आंध्रभाषक उमय ५१० नलकी ३ उमय चाहत है पनावली बा: नलकी ३ निगेड २/५/१८ को प्रेश हो</p>	
<p>14-6/2018 पनावली -पाम आपवे हाए नैय जीजका पर प्रेशा हुडी ककील प्राधी कुपस्थित। ककील प्राधी की उपस्थित ककील प्राधी पर उमय प्राधी को हुना गया जिस्मे नेनी प्राधी के उनांग 17/7/2015 को जारी स्थगन आदेशा को मूलवाद नु प्रभावत रखा जाने हेतु सहमति प्रदान की है।</p> <p>अर: उमय प्राधी कुलभारि</p> <p>कु आघार पर आर्षना प्रु मे उनांग 17/7/2015 को जारी स्थगन आदेशा को मूलवाद के निस्ला रु प्रभावत रखा जाने का आदेशा दिया जाला है। पनावली कुलभारि को नु ले कु हाए प्रा. प्रु मूलवाद के साथ संलग्न हो।</p> <p>सपखण्ड अधिकारी माण्डलगत</p>	<p>प्रीम</p> <p>निव आवेदन (4)</p>